



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, बुधवार, 29 जुलाई, 1970 ई०
श्रावण 7, 1892 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायिका विभाग

संख्या 3485/17-209-69
लखनऊ, 29 जुलाई, 1970

विज्ञापित
विधि

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित भारतीय दण्ड संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1969 पर दिनांक 17 जुलाई, 1970 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, 1970 के रूप में सर्वसाधारण के सूचनार्थ इस विज्ञापित द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

भारतीय दंड संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1970

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, 1970)

(जैसा कि उ० प्र० विधान मंडल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में भारतीय दंड संहिता में और संशोधन करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—यह अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1970 संक्षिप्त नाम कहलायेगा।

2—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में, भारतीय दंड संहिता की धारा 103 में, खंड चौथा के पश्चात्, निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

“पाचवां—अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा—

(क) किसी ऐसी सम्पत्ति को जो सरकार, या किसी स्थानीय प्राधिकारी, अथवा सरकार के स्वामित्व में या उसके नियंत्रणाधीन अन्य निगम के प्रयोजन के लिये प्रयुक्त हो अथवा प्रयुक्त किये जाने के लिये अभिप्रेत हो; या

(ख) किसी रेलवे को जैसा कि इंडियन रेलवेज ऐक्ट, 1890 की धारा 3 के खंड (4) में परिभाषित है अथवा रेलवे स्टोर्स को जैसा कि रेलवे स्टोर्स (अनलाफुल पजेशन) ऐक्ट, 1955 में परिभाषित है; या

(ग) किसी ट्रान्सपोर्ट वेहिकल को जैसा कि मोटर वेहिकल्स ऐक्ट, 1939 की धारा 2 के खण्ड (33) में परिभाषित है, की गयी आरिफ्ट।”

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अधिनियम 45, 1860 की धारा 103 का संशोधन

ऐक्ट 9, 1890

ऐक्ट 51, 1955

ऐक्ट 4, 1939

No. 3485/XVII—209-69

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the *Bhartiya Dand Sanhita (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 1970 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 29, of 1970)*, as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on July 17 1970:

**THE INDIAN PENAL CODE (UTTAR PRADESH AMENDMENT),
ACT, 1970**

(U. P. ACT NO. 29 OF 1970)

(AS PASSED BY THE UTTAR PRADESH LEGISLATURE)

AN

ACT

further to amend the Indian Penal Code in its application to Uttar Pradesh

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-First Year of the Republic of India as follows :

Short title.

1. This Act may be called the Indian Penal Code (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1970.

Amendment of section 103 of Act XLV of 1860 in its application to Uttar Pradesh.

2. In section 103 of the Indian Penal Code, in its application to Uttar Pradesh, *after* clause *Fourthly*, the following clause shall be inserted, namely :

"Fifthly—Mischief by fire or any explosive substance committed on—

(a) any property used or intended to be used for the purpose of Government or any local authority or other corporation owned or controlled by Government ; or

(b) any railway as defined in clause (4) of section 3 of the Indian Railways Act, 1890, or railway stores as defined in the Railway Stores (Unlawful Possession) Act, 1955, or

(c) any transport vehicle as defined in clause (33) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1939."

आज्ञा से,
प्रेम प्रकाश,
सचिव ।